02/01-01-2020

दिनांक 11.12.2019 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति यथा संधारित।

दिनांक–11.12.2019 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में 20 जिलों के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अपर समाहर्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल एवं शेखपुरा, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार है :–

1. **विशेष सर्वेक्षण की राज्य स्तरीय योजना** – सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों में विशेष सर्वेक्षण की कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया। इसके लिए वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ तीन जिलों बेगूसराय, सुपौल एवं शेखपुरा के अतिरिक्त विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण के लिए चयनित कुल 20 जिलों के शेष 17 जिलों और इनके अतिरिक्त अन्य 18 जिलों में किए जाने वाले कार्य की स्पष्ट समानांतर कार्य योजना बनाने एवं इसके अनुरूप सभी जिलों को पत्र दिए जाने का निदेश दिया गया। साथ ही इन जिलों में सर्वेक्षण के लिए जन–जागरूकता फैलाने एवं सर्वेक्षण पूर्व की जाने वाले कार्य संचालित कराने का भी निदेश दिया गया। सभी जिलों में बंदोबस्त कार्यालय स्थापित करते हुए विशेष सर्वेक्षण के लिए कर्मियों की पदस्थापन करने एवं उनके दायित्वों को स्पष्ट करने का प्रस्ताव समर्पित करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का तकनीकी कोषांग)

2. **विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का पदस्थापन एवं प्रशिक्षण** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के लिए चल रही नियोजन प्रक्रिया के पूर्ण होते ही विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित जिलों में पदस्थापन का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाए।

निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के लिए नवनियोजित होने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण की स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन एवं अनुश्रवण के लि राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को जिला आवंटित कर दिया जाए। राज्य एवं जिलों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की सभी तैयारियों यथा प्रशिक्षण स्थल का चयन, उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं प्रशिक्षकों का चयन इत्यादि की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएँ। प्रतिवेदित किया गया कि जिलों प्रशिक्षण स्थल के चयन, प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम एवं आमंत्रित व्याख्याताओं के चयन का कार्य पू हो चुका है।

जिलावार कुल 59 प्रशिक्षण स्थलों की आवश्यकता होगी, इस संबंध में निदेशालय स्तर सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा इस हेतु अधियाचना के आलोक में यथोचि आवंटन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का स्थापना शाखा)

3. **बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापन** – बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अंर्तगत कुल 105 संविदा अमीनों में 81 अमीनों के साथ तीन जिलों बेगूसराय, सुपौल एवं शेखपुरा के एक–एक अंचल में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण में चयनित कुल 20 जिलों के शेष 17 जिलों में से कुल 4 जिलों पूर्णियॉ, कटिहार, अररिया एवं मधेपुरा में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं 6 जिलों खगड़िया, सहरसा, पूर्णियॉ कटिहार, जहानाबाद एवं अररिया में कानूनगो पदस्थापित नहीं है।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल ने बताया कि बंदोबस्त कार्यालय, अररिया से दो अमीन को सुपौल में योगदान करना था जो नहीं किये है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज ने बताया कि गया से श्री युगल किशोर प्रसाद को किशनगंज स्थानांतरित किया गया है जो नही योगदान किये हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद ने बताया कि एक लिपिक, लखीसराय से विरमित हो गये परन्तु एक माह से ज्यादा अवधि बितने के बाद भी योगदान नहीं किये है। सहायक बंदोबस्त कार्यालय, मुंगेर ने बताया कि श्री विश्वनाथ प्रसाद, लिपिक बंदोबस्त कार्यालय, आरा से अभी तक विरमित हो कर मुंगेर में योगदान नहीं किये हैं।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने बताया इन मामलों के संबंध में निदेशालय स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन : स्थापना शाखा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा भू–अभिलेख एवं परिमाप)

4. **अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र** – निदेश दिया गया कि पूर्व सर्वेक्षण के जो भी खतियान एवं मानचित्र अनुपलब्ध है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उपनिदेशक बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित 20 जिलों में 112 मानचित्रों की अनुपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त है। इनकी उपलब्धता के लिए जिला अंचल एवं गॉव के रैयतों से संपर्क किया जा रहा है। अनुपलब्ध खतियान के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार 20 जिलों में कुल 657 मौजों का खतियान अनुपलब्ध है जिसके संबंध में जिलों से संपर्क कर उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्रवाई निदेशालय स्तर से की जा रही है।

निदेश दिया गया कि सभी जिलों के अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान की आंकड़ा सही–सही ज्ञात कर उनकी उपलब्धता के लिए जिलों एवं अंचल और आवश्यक हो तो रैयतों से संपर्क स्थापित किया जाए।

(अनुपालन : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग)

5. **विशेष सर्वेक्षण मानचित्र आपूर्ति** – सहायक बदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि कुल 340 मानचित्र के विरूद्ध 339 मानचित्र ही एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने अविलंब मानचित्र आपूर्ति करने का संबंधित एजेंसी को निदेश दिया।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), लखीसराय ने बताया कि कुल 78 मौजा के नक्शा में मुश्तकिल स्पष्ट नहीं है और इनमें से कुछ मौजों के नक्शा में एक तरफ से बाउंड्री नहीं है।

उपस्थित एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त क्षेत्र घनी आबादी का होने के कारण ऐसा किया गया है। इस पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से पृच्छा किया गया कि ग्राम सीमा सत्यापन क्या ऐसे नक्शे से होगा? इस पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकरी ने बताया कि ऐसे नक्शों से सीमा सत्यापन में कठिनाई है। इस पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने संबंधित एजेंसी को निदेशित किया कि इस प्रकार के नक्शे में सुधार अविलंब कर दिया जाय।

उपस्थित सहायक बदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि मानचित्र का कागज अत्यंत पतला रहता है और गुणवता भी अच्छी नहीं है जिसके कारण कार्य करने में कठिनाई होती है। उपस्थित संबंधित एजेंसी ने बताया कि 75 जी0एस0एम0 की मोटाई का कागज मानचित्र की आपूर्ति में किया जाना है। इस पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने निदेशित किया कि मानचित्र का कागज 75 जी0एस0एम0 का है कि नहीं इस संदर्भ में जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से जाँच करवा कर संतुष्ट हो लें। साथ ही निदेशक ने उल्लेखीत किया कि नक्शा को सुरक्षित रखने के लिए मैप कवर नियमानुसार क्रय कर लिया जाय।

(अनुपालन : सभी हवाई एजेंसी, सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का तकनीकी कोषांग)

6. **मानचित्र डिजिटाईजेशन** – निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने संबंधित हवाई एजेंसी आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के प्रतिनिधि को निदेशित किया कि शाहाबाद जिले के सर्वे नक्शों का डिजिटाईजेशन अविलंब कर लिया जाय। एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि डिजिटाईजेशन का कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि मधुबनी, बेगूसराय आदि जिलों के वे क्षेत्र जिनका हाई रिजोलेशन सैटेलाइट इमेज लिया जाना है, वे प्रत्येक दशा में फरवरी, 2020 तक ले लिए जाए, इस संबंध में एन0आर0एस0सी0 के माध्यम से अविलंब कार्रवाई कर ली जाय।

(अनुपालन : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग)

7. **कार्य एवं लक्ष्य का निर्धारण** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के लिए जो भी कर्मी/पदाधिकारी नियुक्त हैं उनके कार्य को स्पष्ट करते हुए समय सीमा तय कर लक्ष्य का निर्धारण किया जाए।

वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण का कार्य कर रहे तीन जिलों के संदर्भ में स्पष्ट निदेश दिया गया कि सभी कार्यरत अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यों का प्रक्रमवार निर्धारण कर प्रत्येक कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाए।

(अनुपालन : सभी प्रभारी पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता)

8. **क्षेत्रीय भ्रमण** – निदेश दिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न सभी अमीन कानूनगो एवं सहायक बदोबस्त पदाधिकारी अपने–अपने शिविर में रहकर कार्य करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सभी पदाधिकारियों को जिला आवंटित करते हुए जिला स्तरीय कार्यों का सतत अनुश्रवण किया जाए।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों को जिला आवंटित किया गया है, विभागीय स्तर पर कुछ नये पदाधिकारियों की पदस्थापना के पश्चात् कतिपय संशोधन की आवश्यकता है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

9. **सर्वे सॉफ्टवेयर** – प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए अलग सॉफ्टवेयर के निर्माण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा किया जा रहा है। तैयार होनेवाले सॉफ्टवेयर की जाँच निदेशालय द्वारा पूर्ण की जा चुकी है और यह निर्माण के अंतिम चरण में है।

निदेश दिया गया कि चरणबद्ध एवं प्रक्रमवार किए जाने वाले वाले महत्वपूर्ण कार्यों को सॉफ्टवेयर में समावेशित किया जाए ताकि कार्य की प्रगति के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हो सके और आगे की कार्य योजना में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके।

सर्वेक्षण उपरांत तैयार होने वाले मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख को समेकित रूप में निर्मित किया जाना है और इसे मोन्यूमेंटेशन के साथ संबद्ध किया जाना है ताकि ROR और मानचित्र दोनो का अद्यतनीकरण Mutation के समय ही संभव हो पाएगा और मानचित्र सह अधिकार अभिलेख सतत अद्यतन बना रहेगा।

(अनुपालन : श्री संजय कुमार, NIC, श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार एवं सुश्री सुरभि सिंह, MIS Cell Lead)

10. **MIS Entry** – निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी प्रतिवेदनों एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वांछित प्रस्तुतियों एवं विश्लेषण का कार्य किया जा सके। किसी भी तरह की कम्प्यूटर जनित चार्ट या ग्राफ अविलंब अद्यतन रूप में प्राप्त किया जा सके। इस कार्य हेतु निदेशालय स्तर पर प्रोग्रामर की सहायता से इस कार्य को अतिशीघ्र पुरा किया जाय।

(अनुपालन : तकनीकी शाखा एवं सुश्री सुरभि सिंह MIS Cell Lead)

11. **बेगूसराय, शेखपुरा एवं सुपौल के विशेष सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा** – बैठक में उपस्थित बेगूसराय, शेखपुरा एवं सुपौल के विशेष सर्वेक्षण कार्यो एवं इन जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में शिविर संख्या–3 A के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि 21 गॉव के लिए मात्र 1 ई0टी0एस0 मशीन दिया गया है। ई0टी0एस0 मशीन के कमी के कारण कार्य की प्रगति बाधित है। शिविर संख्या – 1 के प्रभारी प्रदाधिकारी ने बताया कि 5 ई0टी0एस0 मशीन के विरूद्ध 3 ई0टी0एस0 मशीन दिया गया है और 2 ऑपरेटर कार्यरत है, जिस कारण कार्य की प्रगति शिथिल है। शिविर संख्या – 2 A के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि मात्र 1 ई0टी0एस0 मशीन उपलब्ध होने के कारण कार्यो का निष्पादन शीघ्रता से नहीं हो पा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि एजेंसी द्वारा लैपटॉप की सहायता से सभी संबंधित स्थानों पर कार्य न कर अमीन की सहायता से एजेंसी के जिला स्तरीय लैब में कार्य किया जाता है, जिस कारण कार्यो का निष्पादन ससमय नही हो पाता है। वर्तमान में एजेंसी द्वारा मात्र एक लैपटॉप पर कार्य किया

जा रहा है। यह भी बताया गया कि एजेंसी द्वारा नियत किये गये त्रिसीमानों के निर्देशांक को डी0जी0पी0एस0 से प्राप्त करने का कार्य एजेंसी द्वारा अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

एजेंसी के उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि लैपटॉप एवं डी0जी0पी0एस0 की मांग नहीं रहने के कारण आपूर्ति नहीं की गई अगले सप्ताह से आपूर्ति की जायेगी।

निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए प्रतिवेदन के अनुसार वर्त्तमान में त्रिसीमाना की पहचान एवं नियत करना तथा ग्राम सीमा सत्यापन की स्थिति निम्नवत पाई गई :–

क्र0 सं0	शिविर का नाम	त्रि–सीमाना		ग्राम सीमा बिन्दुओं का सत्यापन	
		लक्ष्य	कार्य	लक्ष्य	कार्य
1.	शेखपुरा शिविर सं0–1	39	38	39	25
2.	सुपौल शिविर सं0–1	54	48	54	5
3.	बेगूसराय शिविर सं0–3 A	51	28	51	9
4.	बेगूसराय शिविर सं0–2 B	55	29	55	–
5.	बेगूसराय शिविर सं0–1	159	74	159	41
6.	बेगूसराय शिविर सं0–2 A	70	32	70	–
7.	सुपौल शिविर सं0–2	69	42	69	2
8.	शेखपुरा शिविर सं0–2	39	13	71	–
9	बेगूसराय शिविर सं0–3 B	45	13	39	–

त्रिसीमाना और ग्राम सीमा पर मोन्यूमेंटेशन के कार्य के संबंध में बनाया गया कि अभी तक सुपौल में 6 तथा बेगूसराय में 5 स्थानों पर मोन्यूमेंटेशन का कार्य किया गया है। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा बनाया गया कि वर्त्तमान में पूर्व के उपलब्ध पिलरों का ही मोन्यूमेंट किया गया है एवं नए पिलर बनाने के लिए जिला में आर्डर दिया गया है। तीनों उपस्थित एजेंसी आई0आई0सी0, आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 एवं जी0आई0एस0 द्वारा पिलर लगाने के संबंध में निम्नांकित समय सीमा दी गई :–

क्र0 सं0	एजेंसी एवं जिला का नाम	पिलर लगाने का कार्य प्रारंभ करने की तिथि	पिलर लगाने का कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	आई0आई0सी0, बेगूसराय	26 दिसंबर, 2019	20 जनवरी, 2020
2.	जी0आई0एस0 सुपौल	15 दिसंबर, 2019	31 दिसंबर, 2019
3.	आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 शेखपुरा	20 दिसंबर, 2019	5 जनवरी, 2020

निदेश दिया गया कि त्रिसीमाना नियत करने, ग्राम सीमा सत्यापन एवं पिलर लगाने का कार्य प्रतिवेदित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर ली जाए।

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने हवाई एजेंसियों द्वारा कार्य के अनुसार ई0टी0एस0 मशीन की आपूर्ति नहीं करने के प्रति खेद प्रकट किया और आवश्यकतानुसार ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 मशीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निदेश सभी एजेंसी के उपस्थित प्रतिनिधियों को दिया।

आई0आई0सी द्वारा ई0टी0एस0 मशीन समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण दिनांक–12.12.2019 तक ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य योजना अनुसार कार्य नहीं होने पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा खेद प्रकट किया गया और आदेश दिया गया कि वे बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय से संपर्क कर नया कार्य योजना तैयार करे और एक पक्ष के अंदर पूर्व निधारित कार्य योजना अनुसार निर्धारित ग्रामों का सीमा सत्यापन कार्य सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का तकनीकी कोषांग)

12. **किश्तवार एवं खानापुरी** – विशेष सर्वेक्षण के किश्तवार एवं खानापुरी कार्य की समीक्षा के क्रम में निम्नवत स्थिति पाई गई :–

क्र0 सं0	शिविर का नाम / अमीन का नाम	विशेष सर्वेक्षण के अनुसार कुल खेसरा	अबतक नबंरिंग किए गए खेसरा की सं0
1.	बेगूसराय शिविर सं0–1 श्री सुधीर कुमार मिश्र	257	42
2.	बेगूसराय शिविर सं0–2 श्री अजय कुमार सिंह	1394	0
3.	शेखपुरा शिविर सं0–1 श्री शर्मानंद मिस्त्री	1132	282
4	शेखपुरा शिविर सं0–1 श्री अखिलेश्वर कुमार	1902	147
5	सुपौल शिविर सं0–1 श्री रामचन्द्र प्रसाद	3610	72
6.	सुपौल शिविर सं0–2 श्री ओंकार सिंह	5420	75

निदेश दिया गया कि त्रिसीमाना नियत करने तथा ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य प्रतिवेदित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाए साथ ही किश्तवार में अमीनों को प्रतिदिन कम से कम 100 खेसरों की नंबरिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। किश्तवार एवं खानापुरी संबंधी कार्यो का प्रतिवेदन एम0आई0एस0 इंट्री के द्वारा प्राप्त कर सतत पर्यवेक्षण किया जाए।

शेखपुरा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि नक्शा में बस्ती के क्षेत्र में नक्शा गलत है और सी0एस0 तथा विशेष सर्वेक्षण नक्शा मे अंतर के कारण त्रिसीमाना का कार्य नहीं हो

पा रहा है। साथ ही एजेंसी का प्लॉटर खराब होने के कारण विशेष सर्वेक्षण नक्शा की आपूर्ति भी नहीं हो रही है। इस पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप ने खेद प्रकट कर अविलंब समुचित सुधार का निदेश दिया। यह भी चेतावनी दी गयी कि इस प्रकार की त्रुटियों व विलंब की पुनरावृति पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का तकनीकी कोषांग)

13. **प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित 20 जिलों में शेष 17 जिलों की कार्य योजना** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण में कार्य करने के लिए चयनित 20 जिलों के 3 जिलों बेगूसराय, शेखपुरा एवं सुपौल के अतिरिक्त अन्य 17 जिलों में विशेष सर्वेक्षण के लिए चल रही नियोजन प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्व किए जाने वाले कार्यों की स्पष्ट रूप–रेखा तैयार कर जिलों को स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किए जाए।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का तकनीकी कोषांग)

14. **विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण के जिलों के अतिरिक्त अन्य 18 जिलों की कार्य योजना** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण का कार्य वर्त्तमान एवं प्रस्तावित नवनियुक्त सर्वेक्षण कर्मियों के साथ प्रथम चरण के 20 जिलों में प्रारंभ करने के पश्चात शेष 18 जिलों में समानान्तर रूप से सर्वेक्षण के संबंध में क्या कार्य किए जाएगे इसकी स्पष्ट रूप–रेखा निदेशालय स्तर पर तैयार कर ली जाए एवं इसी के अनुरूप जिलों में कार्रवाई प्रारंभ करा दी जाए।

(अनुपालन : भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का तकनीकी कोषांग)

15. **IIC Technologies के कार्यो की स्थलीय समीक्षा** – बैठक में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी आई0आई0सी0 द्वारा दिनांक– 12.11.2019 को Ref IIC/2019/12-11 पत्र में उठाए गए बिन्दुओं के संदर्भ में निदेश दिया गया कि IIC एजेंसी को विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए आवंटित 16 जिलों में एजेंसी द्वारा पूर्व में किए गए सभी कार्यो एवं वर्त्तमान में किए जा रहे कार्यो, एजेंसी द्वारा जिलों में उपलब्ध कराए गए संसाधन विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक उपकरण यथा ETS और DGPS और मानव बल की उपलब्धता के विशेष संदर्भ में एजेंसी को आवंटित जिलों में दिसंबर माह में ही जाँच कर ली जाय।

(अनुपालन : सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जी0आई0एस0 सलाहकार)

16. **भू–सर्वेक्षण कार्यो की जिला स्तर पर समीक्षा** – समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जिला स्तर/अंचल स्तर पर हो रहे भू–सर्वेक्षण कार्यो के संदर्भ में जिला के समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता को जानकारी नहीं देते है और जिन मामलों में समाहर्त्ता के स्तर से ही कार्य होना है उन मामलों में भी निदेशालय से पत्राचार किया जाता है। सहायक बंदोबस्त (मु0) बिना जिला स समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को कार्यालय के कार्यो की जानकारी दिये जिन मामलों व निस्तार समाहर्त्ता स्तर से हो सकता है उस संदर्भ में भी निदेशालय स्तर से पत्राचार करते है समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया प्रथम चरण के 20 जिलों में से अधिकांश जिलों में अपर

समाहर्त्ता अथवा समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्त कर्यालय के कार्यो एवं उनके जिले में हो रहे भू–सर्वेक्षण के कार्यों की मासिक समीक्षा नहीं की जा रही है। इस संदर्भ में सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे जिला के समाहर्त्ता से संपर्क कर बंदोबस्त कार्यालय मे हो रहे भू–सर्वेक्षण का कार्यो की समीक्षा कराया जाय।

(अनुपालन : सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0))

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–- 17–वि0सर्वे0 बैठक (विविध) – 268/2019 02 **पटना, दिनांक :** 01-01-2020

प्रतिलिपि : सभी संबंधित 20 जिलों के समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वे0 बैठक (विविध) – 268/2019 02 **पटना, दिनांक :** 01-01-2020

प्रतिलिपि : आई0आई0सी0 टेक्नॉलौजी, जी0आई0एस0 कंसोटियम एवं आई0 एल एण्ड एफ0एस0 के प्रतिनिधियों/भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के तकनीकी कोषांग के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी संबंधित जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदा0(मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वे0 बैठक (विविध) – 268/2019 02 **पटना, दिनांक :** 01-01-2020

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/स्थापना शाखा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–वि0सर्वे0 बैठक (विविध) – 268/2019 02 **पटना, दिनांक :** 01-01-2020

प्रतिलिपि : सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप